न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 122/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती कुनणी पत्नी मूलाराम विश्नोई के कायम मुकामः– 1. मूलाराम पुत्र स्व0 कुंभाराम 2. हनुमानाराम पुत्र मूलाराम 3. मगाराम पुत्र मूलाराम 4. मदनलाल पुत्र मूलाराम जातियान–विश्नोई, निवासी– सांवरीज तहसील फलौदी जोधपुर। 5. सुनिता पुत्री मूलाराम पत्नी मंजीत कुमार जांगू निवासी– कोलू पाबूजी तहसील लोहावट जोधपुर।		1. खंगारसिंह पुत्र मोतीसिंह 2. गोपालसिंह पुत्र गिरधारीसिंह 3. शोभागसिंह पुत्र पूनमसिंह 4. गजेसिंह पुत्र नेतसिंह 5. पार्वती कंवर पत्नी नेतसिंह 6. अर्जुनसिंह पुत्र हजारीसिंह 7. कंवराजसिंह पुत्र नेतसिंह 8. रिछपालसिंह पुत्र नेतसिंह 9. अजीतसिंह पुत्र नेतसिंह 10. विशालकंवर पुत्री नेतसिंह 11. चांव कंवर पुत्री नेतसिंह 12. पारस कंवर पुत्री नेतसिंह 13. प्रकाश कंवर पुत्री नेतसिंह जातियान राजपूत निवासी– पृथ्वीराजसिंह नगर, बामणू तहसील फलौदी, जोधपुर। 14. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार फलौदी।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–05–2018 उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा प्रकरण संख्या 37/2018 अनवान खंगारसिंह वगैराह बनाम कुनणी वगैरा में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री भंवरसिंह तापू, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 6 की ओर से।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 14 की ओर से ।
4– रेस्पो0 संख्या 3, 4,5,7, 8 से 13 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 14 नवम्बर, 2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम पृथ्वीराजसिंह नगर पटवार हल्का सांवरिज के ख0सं0 479/11 रकबा 15 बीघा भूमि अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है तथा रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण की उक्त भूमि की मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम की गई है। जिसकी दिनांक 2008 में तरमीम की प्रतिलिपी नियमानुसार जारी हो रखी है। श्रीमती कुनणी के द्वारा पटवारी हल्का से मिलावट कर अपनी ख0सं0 479/10 रकबा 12.18 बीघा भूमि की वर्तमान राजस्व नक्शा में प्रार्थीगण की ख0सं0 479/11 के स्थान पर तरमीम करवा ली है जबकि उक्त तरमीम प्रार्थीगण पहले से की हुई है। अतः तरमीम दुरूस्ती करने के आदेश प्रदान किये जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0/प्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ख0सं0 479/10 की तरमीम में अंकन दुरूस्ती कर ख0सं0 479/11 पूर्वानुसार पी–35 क्रमांक 250/7.7.08 के

सम्भागीय आयुक्त

अनुसार पटवारी हल्का सांवरिज द्वारा जारी नक्शा अनुसार तरमीम के नक्शें में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.5.2018 को पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर वर्तमान अपीलान्टस के द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज होने के उपरान्त अपीलान्टस को नोटिस जारी किये के आदेश देकर पत्रावली दिनांक 12.4.18 को रखी गई, परन्तु नोटिस जारी नहीं हुए व पत्रावली दिनांक 15.5.2018 को रखते हुए विपक्षी अपीलान्टस को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये ही उसी दिन अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि खसरा संख्या 479/10 को पालूदेवी से दिनांक 4.5.2013 को पंजीकृत बेचाननामें से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जो ख0सं0 479/13 के पडौस में होने से उसका विक्रय पत्र में पडौस दर्ज किया गया है तथा ख0सं0 479/13 वर्ष 2004 में अपीलार्थीनी के पति के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र में भी ख0सं0 479/10 उसके पडौस में बताया गया है। अपीलार्थीनी के खरीद के समय विक्रय विक्रय किये गये ख0सं0 479/10 की तरमीम नक्शे में पूर्व से ही की हुई मौजूद थी जो पटवारी हल्का द्वारा जारी दिनांक 20.1.12 नकल में भी दर्शाई गई है। तत्कालीन पटवारी के द्वारा राजस्व नक्शे में विधि विरूद्ध हेराफेरी करके नकल जारी करने की जानकारी होने पर अपीलार्थीनी को बेचानकर्ता पालूदेवी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में शिकायत दी तथा मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ में भी शिकायत दी जिसकी जॉच बाद नये नक्शे में ख0सं0 479/10 व ख0सं0 479/13 के पडौस मे तरमीम पाया गया तथा उसकी नकल पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.8.13 को जारी की गई। इसके पश्चात रेस्पो0 संख्या 1 से 13 ने ख0सं0 479/11 जगमाल राम पुत्र कानाराम से खरीद किया गया। जगमालराम ने दिनांक 13.6.16 को एक प्रार्थना पत्र 226/16 अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व के तहत पेश किया जो दिनांक 2.1.18 को खारिज किया गया। इसके बाद रेस्पो0संख्या 1 ता 5 ने दूसरा प्रार्थना पत्र पेश किया जो चलने योग्य नहीं था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के पेश प्रार्थना पत्र में निर्णय पारित किये जाने से पूर्व प्रभावित पक्षकार/अपीलान्टस को सुनवाई व सूचना का अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का के पी–35 कमांक 250/ 7.7.08 की जारी नकल पर भरोसा कर तरमीम दुरूस्ती का आदेश देने में भूल कारित की है जबकि नकल रेकर्ड में कांट–छांट,हेराफेरी की गई। जिसकी जॉच होने पर तरमीम सही करवाई गई। इसके अतिरिक्त पूर्व क्रेता जगमालराम पुत्र कानाराम के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर खारिज होने बाबत आदेश को भी रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 ने अपने प्रार्थना पत्र में छुपाया गया। रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 ने उक्त दोनों कार्यवाही को

जब एक बार तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र खारिज हो जाता है तो दुबारा प्रार्थना पत्र दर्ज करवाकर बाले-बाले एकपक्षीय आदेश पारित नहीं करवाया जा सकता है। अपीलार्थीनी का ख0सं0 479/10 जो ख0सं0 479/13 के वर्ष 2004 में निष्पादित विक्रय पत्र में उसके पडौस में होने से दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2004 में ख0सं0 479/10 अपनी वर्तमान जगह पर ही तरमीमशुदा होकर चला आ रहा था तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत पी-35 बाद की हेराफेरी कांट-छांट से उत्पन्न हुआ कार्य है जो अभिलेख के विपरित होने से साक्ष्य में शून्य है एवं उस आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीनी के अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.9.18 को तब हुई जब पटवारी हल्का ढढू के पास खेत के नक्शें की आवश्यकता होने पर जाने पर पटवारी हल्का ने नक्शे की नकल दी तथा उक्त नकल देते समय अपीलार्थीनी को उसकी खातेदारी भूमि की तरमीम बदलने का उपखण्ड अधिकारी फलौदी के उक्त आदेश हो जाने का पता लगा तब उनके द्वारा फलौदी जाकर दिनांक 17.9.18 को आदेश की नकल प्राप्त की। तब उसके द्वारा जोधपुर आकर अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित करते हुए अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई। अपीलार्थीनी एक गरीब काश्तकार महिला है तथा बहुमूल्य प्रतिफल के बदले उक्त भूमि खरीद की है अपीलाधीन आदेश से उसकी खातेदारी की तरमीम अन्यत्र करके उसे बेदखल कर देंगे जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी। अतः अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुए गुणावगुण पर निर्णित की जावें।

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 6 के उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम पृथ्वीराजसिंह नगर पटवार हल्का सांवरिज के ख0 सं0 479/11 रकबा 15 बीघा रकबा भूमि अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है तथा वर्तमान रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण की उक्त भूमि की मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम की गई है। जिसकी वर्ष 2008 में तरमीम की प्रतिलिपी दिनांक 7.7.2008 को नियमानुसार जारी हो रखी है। श्रीमती कुणणी के द्वारा पटवारी हल्का से मिलावट कर अपनी ख0सं0 479/10 रकबा 12.18 बीघा भूमि की वर्तमान राजस्व नक्शा में प्रार्थीगण की ख0सं0 479/11 के स्थान पर तरनीम करवा ली है जबकि उक्त तरमीम प्रार्थीगण पहले से की हुई है। अतः तरमीम दुरुस्ती करने के आदेश प्रदान किये जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2075 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न प्रस्तुत की गई।

रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 6 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0/प्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 का प्रार्थना पत्र को दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण वर्तमान अपीलान्टस को नोटिस जारी किये गये थे। वर्तमान पटवारी हल्का ने अपराध करते हुए वर्तमान राजस्व नक्शा में रेस्पो0 की ख0सं0 479/11 की भूमि का अंकन ही नहीं किया गया है उसने अपीलान्टस से मिलावट कर ख0सं0 479/11 के स्थान पर ख0सं0

479/10 राजस्व नक्शा में गलत रूप से अंकन कर दिया था। अपीलान्टस का कोई कब्जा उक्त खसरान भूमि पर नहीं है, रेस्पो0 का ही कब्जा वर्षो से चला आ रहा है। उक्त तरमीम करते वक्त क्षेत्रफल, कच्ची पेन्सिल तरमीम व भू0अ0निरीक्षक द्वारा जॉच कर तरमीम पुख्ता करने हेतु सभी नियमों को ताक में रखकर रेस्पो0 को भूमि से बेदखल करने की नियत से उक्त तरमीम करवा ली। तब तत्कालीन जमाबन्दी व नक्शा में अन्तर पाये जाने पर रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ख0सं0 479/10 की तरमीम में अंकन दुरूस्ती कर ख0सं0 479/11 पूर्वानुसार पी–35 कमांक 250/7.7.08 के अनुसार पटवारी हल्का सांवरिज द्वारा जारी नक्शा अनुसार तरमीम के नक्शें में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.5.2018 को पारित किया गया था जो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 6 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि वर्ष 2008 व 2018 में खसरा संख्या 479/11 की तरमीम ख0सं0 479/13 के समीप कर दी गई। अपीलान्टस का कभी उस भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के कथनों एवं प्रस्तुत जमाबन्दी व राजस्व नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन करने के उपरान्त उनकी प्रार्थना उचित पाये जाने पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करने का आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुकूल उचित है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीया की अपील अस्वीकार की जावे व अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती करने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ख0सं0 479/10 की तरमीम में अंकन दुरूस्ती कर ख0सं0 479/11 पूर्वानुसार पी–35 कमांक 250/7.7.2008 के अनुसार पटवारी हल्का सांवरिज द्वारा जारी नक्शा अनुसार तरमीम के नक्शे में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2018 को पारित किया गया है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी अपील में मुख्य आपत्ति यह प्रकट की है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्टस को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। साथ ही उनके द्वारा ख0सं 479/10 को पालूदेवी से दिनांक 4.5.2013 को पंजीकृत बेचाननामें से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जिसमें ख0सं0 479/13 के पडौस में होने से उसका विक्रय पत्र में पडौस दर्ज किया हुआ है तथा 479/13 वर्ष 2004 में अपीलार्थीनी के पति के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र में भी ख0सं0 479/10 उसके पडौस में दर्शाया है। अपीलार्थीनी के खरीद के समय विक्रय किये गये ख0सं0 479/10 की तरमीम नक्शें में पूर्व से ही की हुई मौजूद थी।

पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 479 का अवलोकन किया गया जिसमें उक्त खसरान भूमि का आवंटन श्री जगमाल पुत्र कोजाराम कौम बिश्नोई को दिनांक 10.06.1967 को हुआ होना तथा भूमि का आवंटन किये जाने से नामा0 संख्या 479 ग्राम

पंचायत, सांवरीज के द्वारा स्वीकृत किया जाना प्रकट है। चूंकि उक्त खसरा भूमि आवंटन के पश्चात अस्तित्व में आये है। अतः भूमि आवंटन पत्रावली, आवंटन आदेश, आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि, नामान्तरकरण की पुश्त पर की गई तरमीम वगैराह का विश्लेषण किया जाकर नये सिरे से विधिवत सुनवाई पश्चात प्रकरण को निर्णित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.5.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, फलौदी को वादग्रस्त खसरान भूमि का मूल आवंटन आदेश, भूमि आवंटन किये जाने सम्बन्धी मूल पत्रावली, आवंटन सम्बन्धी नामान्तरकरण की पुश्त पर आवंटित भूमि की की गई तरमीम का अवलोकन कर/विश्लेषण कर तदनुसार पुनः नये सिरे से विधिवत पक्षकारान की सुनवाई करने के पश्चात आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा उक्तानुसार प्रकरण का विधिवत निस्तारण करने तक उभय पक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। निर्णय आज दिनांक 14 नवम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर